न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 02/22

दायरा दिनांक 07.02.2022

पीठासीन अधिकारी – सुश्री पूजा मीणा (आर.ए.एस.)

रामजीलाल उम्र 47 वर्ष पुत्र हरलाल जाति किराड निवासी समरानिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

–वादी

बनाम

1. हरलाल पुत्र धन्नू जाति किराड निवासी समरानिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
2. पुरूषोत्तम पुत्र हरलाल जाति किराड निवासी समरानिया तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
3. नन्दलाल पुत्र हरलाल जाति किराड निवासी समरानिया तह. शाहाबाद जिला बारां राज.
4. द्रोपती पुत्री हरलाल पत्नि रामस्वरूप जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
5. कसूमल पुत्री हरलाल पत्नि शिवचरण जाति किराड निवासी नारायनखेडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राज.

– प्रतिवादीगण

दावा वास्ते घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89,90,53 आर. टी. एक्ट 1955

निर्णय दिनांक– 18.12.2023

उपस्थित– 1. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल अभिभाषक (वादी)
2. एकपक्षीय (प्रतिवादी 1 ता 5)
3. पेरोकार सरकार (प्रतिवादी 6)

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम समरानिया तहसील शाहाबाद में आराजी खाता संख्या 452 की आराजी खसरा नम्बर 222/2 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 240/1 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 502/2 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नम्बर 628/2 रकबा 7.00 बीघा, खसरा नम्बर 714/2 रकबा 5.02 बीघा, खसरा नम्बर 750/2 रकबा 4.07 बीघा, खसरा नम्बर 800/2 रकबा 11.06 बीघा एवं खसरा नम्बर 1076/2 रकबा 1.08 बीघा कुल किता 9 कुल रकबा 30.08 बीघा स्थित है, इन आराजीयात को दावे में आगे विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। यह कि वादी प्रतिवादी कम 1 का पुत्र तथा प्रतिवादी कम 2 ता 5 वादी के सगे भाई बहिन हैं। विवादित आराजीयात वादी की पैत्रिक आराजीयात है, जो सेटलमेन्ट से पूर्व वादी के पितामह धन्नू के खाते दर्ज रही है वादी के पितामह धन्नू का देहान्त वादी के पिता प्रतिवादी कम 1 के बालकाल में ही हो गया था विवादित आराजी वादी की पैत्रिक आराजीयात है जिसमें वादी का जन्म से अधिकार है। यह कि प्रतिवादी कम 1 बृद्व हैं जिन्हे प्रतिवादी कम 3 ने अपने कब्जे मे कर रखा है और प्रतिवादी कम 3 प्रतिवादी कम 1 को वहका फुसलाकर वादी को विवादित आराजीयात में वादी के हिस्से से बंचित कराना चाहता है इसी नियत से प्रतिवादी कम 3 ने विवादित आराजीयात में से खसरा नम्बर 502/2 रकबा 0.09 बीघा जो सबसे कीमती भूमि है पर जबरन अवैधानिक तौर पर बिना किसी संपरिवर्तन के कृषि भूमि के स्वरूप को परिवर्तित करते हुये दुकान मकान का निर्माण कार्य चालू कर दिया है तथा भूमि [illegible] धमकी दे रहा है जिससे वादी का हक हकूक हिस्सा प्रभावित हो रहा है [illegible] आराजीयात पैत्रिक होने से विवादित आराजीयात में से [illegible] खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा कर अपने हिस्से 1/6 को [illegible] अच्छी व हल्की में से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.02.28 15:48:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

सिद्वान्त पर विभाजित करा पा सकने का हकदार है। वादी ने दिनांक 27.10.21 को प्रतिवादी कम 1 से कहा कि वह विवादित आराजीयात में से वादी के हिस्से 1/6 को अच्छी में से अच्छी व हल्की में से हल्की के सिद्वान्त पर विभाजित कर वादी के खाते प्रथक से दर्ज करा दें लेकिन प्रतिवादी कम 1 ने प्रतिवादी कम 3 के दबाव में ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया इस कारण वादी को बमुकाम समरानिया में दिनांक 27.10.21 को वाद कारण उत्पन्न हुआ। यह कि प्रतिवादी कम 6 को सर्वोच्च भूस्वामी होने के कारण वादपत्र में पक्षकार बनाया है। जिसके वैधानिक प्रतिनिधी जिला कलेक्टर बारां को यदि धारा 80 सीपीसी के नोटिस की ओपचारिकता पूर्ण करने में समय व्यतीत किया गया तो प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात के कृषि स्वरूप को बिगाड सकते हैं तथा अन्य को विकय कर राजस्व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन करने में कामयाब हो जावेंगे जिससे वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी इस कारण वादी न्यायालय श्रीमान से अनुज्ञा प्राप्त कर धारा 80 (2) सीपीसी के तहत यह वाद प्रस्तुत कर रहा है। वाद की सुनवाई का न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, वाद उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी को विवादित आराजीयात ग्राम समरानिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज. के खाता संख्या 452 की आराजी खसरा नम्बर 222/2 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 240/1 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 502/2 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नम्बर 628/2 रकबा 7.00 बीघा, खसरा नम्बर 714/2 रकबा 5.02 बीघा, खसरा नम्बर 750/2 रकबा 4.07 बीघा, खसरा नम्बर 800/2 रकबा 11.06 बीघा एवं खसरा नम्बर 1076/2 रकबा 1.08 बीघा कुल किता 9 कुल रकबा 30.08 बीघा के हिस्सा 1/6 का खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्से का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने तथा वादी के हिस्से को अच्छी में से अच्छी व हल्की में से हल्की के सिद्वान्त पर विभाजित कर वादी के खाते प्रथक से दर्ज किये जाने की डिकी पारित फरमावें अन्य सहायता जो न्यायोचित हो वह भी प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी 1 ता 5 के विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा जबाव पेश नहीं होने से प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं कर वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वादी की ओर से पी.डब्ल्यू. 1 वादी रामजीलाल के बयान कराये और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम समरानिया सम्वत 2071–74 को प्रदर्श 1 के रूप में पेश किया। वादी वकील की बहस सुनी गई।

वादी ने विवादित आराजीयात ग्राम समरानिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज. के खाता संख्या 452 की आराजी खसरा नम्बर 222/2 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 240/1 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 502/2 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नम्बर 628/2 रकबा 7.00 बीघा, खसरा नम्बर 714/2 रकबा 5.02 बीघा, खसरा नम्बर 750/2 रकबा 4.07 बीघा, खसरा नम्बर 800/2 रकबा 11.06 बीघा एवं खसरा नम्बर 1076/2 रकबा 1.08 बीघा कुल किता 9 कुल रकबा 30.08 बीघा को पैत्रिक होना कथन करते हुये वादग्रस्त आराजी में अपना 1/6 हिस्सा निहित होना बतलाया है और इस हिस्सा 1/6 के बावत खातेदारी घोषणा करा कर अच्छी में से अच्छी व हल्की में से हल्की के सिद्वान्त पर विभाजित [illegible]

इस संदर्भ में जब हमने पत्रावली का अवलोकन [illegible] तो पाया कि वादी ने दावे के साथ प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें [illegible] आराजी प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज है, वादी ने विवा[illegible] पूर्व अपने पितामह धन्नू के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.02.28 15:48:21 IST
Reason: SelfAttested

खाते दर्ज होने का कथन किया है लेकिन वादी द्वारा पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे विवादित आराजी का पैत्रिक होना साबित होता हो। इस प्रकार वादी अपने वाद को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

आदेश

अतः विवादित आराजीयात का पैत्रिक होना साबित नहीं होने से वादी का वाद साक्ष्य सबूत के अभाव में अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.,

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.02.28 15:48:21 IST
Reason: SelfAttested

CS CamScanner